जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति | दिनांक 31.07.2021

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामदः-

आज दिनांक 31.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एंव बरामदगी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता को 250 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. सलमान पुत्र गफ्फार निवासी कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अवैध चरस 250 ग्राम।

गिरफ्तारी एव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।
2. का0 मोहित थाना कोतवाली जनपद शामली।

<u>थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा बालक का अपहरण कर हत्या कर हत्या उपरांत शव फेकने की घटना का अनावरण कर 02 अपचारी किशोर लिये हिरासत में, मृतक बालक के कपडे बरामद ।</u>

दिनांक 30.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे बालकों के साथ हो रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग की हत्या करने एवं उसके शव को नहर में फेकने की घटना का अनावरण कर मामले मे 02 अपचारी किशोर को मृतक के कपडो के साथ हिरासत में लिया गया है । हिरासत में लिये गये अपचारी किशोर के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.07.2021 को श्री सतवीर सिंह पुत्र साधुराम निवासी ग्राम गोहरनी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली द्वारा उसके पुत्र, जो दिनांक 03.07.2021 को घर से बाजार सामान लेने जाने और वापस न लौटने के सम्बन्ध मे लिखित तहरीर दी गयी । जिस पर थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर लापता किशोर की तलाश हेतु प्रयास किये गये। सूचना एवं एकत्रित महत्वपूर्ण जानकारियों के आधार पर लोगो से लापता बालक के सम्बन्ध मे पूछताछ की गई। जिसके आधार पर 02 किशोर द्वारा बालक की हत्या कर शव फेकने की जानकारी दिये जाने पर अपचारी किशोर हिरासत मे लिये गये। थाना पुलिस द्वारा गुमशुदगी को तरमीम कर अभियोग, सुसंगत धाराओ मे दर्ज किया गया।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>गिरफ्तार अपचारी किशोर से पूछताछ करने पर जानकारी हुई कि मृतक और वह सौतेले भाई है। उसके पिता ने मृतक की मां से तीसरी शादी की थी। तभी से दोनो भाईयो मे पारिवारिक झगडा रहता था। दिनांक 03.07.2021 को समय करीब सायं 8.30 बजे हिरासत मे लिये गये किशोर द्वारा मृतक को कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने से मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथी के साथ कलैक्ट्रेट की दीवार के पास ही जंगल मे बनी ट्यूबवेल पर ले गये। जहां हिरासत मे लिये गये किशोरो द्वारा उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और मृतक के शव के कपडे निकालकर उसको सफेद प्लास्टिक के कट्टे मे रखकर उसी रात लीलोन के पास नहर मे फेंक दिया था। मृतक कपडे छिपा दिये थे। जो पुलिस को बरामद करा दिये गये।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- मृतक के कपडे ।

<u>हिरासत में लेने वाले पुलिस बाल कल्याण अधिकारी व टीमः-</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नेगी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

2- उ0नि0 श्री लविंग त्यागी थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

3- हे0का0 विकास कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

4. -का0 सुनील कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली ।

<u>थाना गढीपुख्ता</u>

<u>थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा गौकशी के मामले में वांछित शेष अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 31.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा सूचना पर गौकशी के मामले में वांछित चल रहा अभियुक्त राशिद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

ज्ञात हो दिनांक 26-08-2020 को अभियुक्त इस्लाम पुत्र अब्दुल हकीम निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को गौकशी के मामले में गिरफ्तार किया गया था तथा मौके से 03 अभियुक्त फरार हो गये थे । जनकी गिरफ्तारी के लिए थाना गढीपुख्ता पुलिस निरंतर प्रयासरत थी । इनका एक साथी आदिल पुत्र जुम्मा पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियक्त-</u>

1- राशिद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

<u>अपराधिक इतिहास राशिद उपरोक्त ।</u>

1- मु0अ0सं001 15/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1- उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामलीं ।
2-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामलीं ।
3- है0का0 नितेन्द्र कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।
4- का0 जितेन्द्र कुमार थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
5- का0 निर्देश थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम रतोन्द में हुई महिला हत्या में शामिल 01 और अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.07.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के निर्देशन में चलाये गये वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व मे थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम रतोन्द में हुई हत्या में शामिल अभियुक्त मुनव्वर पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। हत्या में शामिल मृतका का पति अफसर पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली को दिनांक 10.05.2017 मे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

ज्ञात हो दिनांक 09.07.2017 को वादी तसव्वर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम रतोन्द थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसकी बहन को अफसर पुत्र यूसुफ द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुनव्वर पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामवीर सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. का0 अंकुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 प्रशांत कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।